न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 116 / 2023

GCMS CASE NO-2023/116

1 सुन्दर लाल पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन 24 एसडी तहसील सूरतगढ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ।

रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी अधिवक्ता अपीलांट

2. राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ रेस्पोडेंट

–::निर्णय::–

दिनांक : 25.07.2024

अपील मे सामान्य तथ्य यह है कि ये बानारागी आदेश उपतहसीलदार (राजस्व), राजियासर अन्तर्गत धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में पेश की गई। अपीलांट को चक 24 एसडी के प.न. 146 / 420 में 0.759 है0 भूमि पर फसल खरीफ 2080 में नाजायज काश्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने का नोटिस जारी किया गया ।

उपतहसीलदार राजियासर ने अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर मालगुजारी का 50 प्रतिशत तावान, खडी फसल नीलाम करने व प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर भूमि बहक सरकार प्राप्त करने की आज्ञापारित की है।

गुणावगुण के आधार पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया अदालत मातहत ने नैसंर्गिक न्याय व निर्धारित प्रकिया की पालना नही की है। फसलकुन्ता (Assesment) नीलामी, 50 गुणातावान व बेदखली तीनों आदेश एक साथ देकर गैर कानूनी आदेश पारित किया है । अपीलांट को पहले कभी वेदखल नही किया गया । ऐसे मे उन्हे पाश्चावर्ती अतिक्रमी मानकर भी भूल की है। तीनों दण्ड एक साथ कानूनन नही दिये जा सकते। अपीलांट द्वारा कथन किया कि चक 22 एसडी के प.न. 146 / 20 का 1 ता 5 बीघा रकबा केशर पत्नी कुशलाराम (केसर देवी प्रार्थी की दादी है।) को आवंटित थी जिसकी झूठी शिकायत कृष्णलाल पुत्र धर्मपाल आदि द्वारा में इस न्यायालय में पेश की गई थी धारा 11–14 के तहत प्रार्थी का रकबा 20.11.2020 को खारिज कर दिया गया जिसकी अपील संभागीय आयुक्त न्यायालय में पेश की गई न्यायालय द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 20.11.2020 को अपास्त कर प्रकरण रिमांड

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:04:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

कर दिया है। इस प्रकार यह रकबा मेरा खातेदारी रकबा है मेरे द्वारा खातेदरी रकबा में काश्त की जा रही है।

पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट सुन्दरलाल द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज काश्त की गई है। अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया जिससे जैर प्रकरण भूमि पर उसका हक/हकूक साबित हो सके अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण ही जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार है। अपीलांट अतिक्रमी साबित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर निर्णय दिनांक 25.10.2023 यथावत रखा जावे।

मातहत अदालत का रिकार्ड शामिल पत्रावली हो चुका है। रिकार्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त होने पर अपीलांट को नोटिस अन्तर्गत धारा 22 विधिवत रूप से जारी किया गया व अपीलांट को विधिवत रूप से तामील हुआ है। नोटिस में अपीलांटस को अवसर दिया गया कि वें अतिक्रमित भूमि खाली कर देवें। बाद नोटिस तामील होने के उपरांत भी अतिक्रमी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण नहीं हटाया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 32/2012 में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2020 द्वारा पिता/दादा कुशलाराम के नाम से चक 22 एसडी के प.न. 146/420 के कि.न. 1ता 5 में कुल 5.00 बीघा खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.9.2022 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.11.2020 को रिमांड कर दिया गया। रिमांड प्रकरण इस न्यायालय में जैरकार है।

अतः उपतहसीलदार राजियासर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्व रिकार्ड का भली भांति अवलोकन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:04:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner